कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा.अभि. विभाग,
परियोजना खण्ड, चितौड़गढ़
"शास्त्रीनगर, चितौडगढ - 312001
E-mail : eephedprocor@gmail.com

क्रमांक :- अअ./पखचि/ /2018-19/ 19 दिनांक :- 15-4-2018

श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान-जयपुर।

विषय :- भैंसरोडगढ-बोराव वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के फोरेस्ट क्लीयरेन्स प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या FP/ RJ/ WATER/ 17698/2016) में जारी ई.डी.एस. अनुसार आक्षेपों का जवाब बाबत्।

सन्दर्भ :- ई.डी.एस. दिनांक 16.05.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त फोरेस्ट क्लीयरेन्स प्रस्ताव में दिनांक 16.05.2017 को लगाई गई ई.डी.एस. का बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार है :-

S. No.	Observation	Reply
1	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 बिन्दु संख्या C (ii) में अपलोड की गई KML file multypolygonal है, जिसके कारण प्रस्ताव में क्षेत्र के विवरण की गणना नहीं हो पा रही है। इसके अतिरिक्त KML file में तीनों क्षेत्र (मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, भैंसरोडगढ अभ्यारण्य एवं चितौडगढ प्रादेशिक) के वन क्षेत्र/ अभ्यारण्य क्षेत्र की सीमा का विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	KML file में मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा को गुलाबी रंग से मार्क किया गया, भैंसरोडगढ अभ्यारण्य को काले रंग से मार्क किया गया तथा चितौडगढ प्रादेशिक को हरे रंग से मार्क किया गया है। क्षेत्र के विवरण की गणना के लिए वन भूमि जो कि प्रत्यावर्तित होनी है, की लम्बाई एवं चौडाई (एरिया/वन क्षेत्र की गणना) Digital Map में दर्शाया गया है तथा KML file जो कि Multypolygonal है, उसके लिए संबंधित उपवन संरक्षक (मुख्यतः चितौडगढ प्रादेशिक) से प्रस्ताव की जांच के उपरान्त फाईनल फोरेस्ट लैण्ड जो कि प्रत्यावर्तित होगी, उसकी Exact KML file (Polygon shape) बनाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी जाएगी।
2	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव प्रारम्भ में 2.2665 है0, उसके उपरान्त 3.1872 एवं बाद में 3.8122 है0 का प्रस्तुत किया गया है, इस हेतु यूजर एजेन्सी को सलाह दी जाती है कि वह स्थानीय वनाधिकारी से सम्पर्क कर सही क्षेत्र भरे एवं न्यूनतम वन भूमि होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।	पूर्व में उपवन संरक्षक, मुकन्दरा नेशनल पार्क कोटा के द्वारा वाईल्ड लाईफ क्लीयरेन्स प्रस्ताव की जांच के समय पाइप लाईन के लिए भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए चौडाई कम से कम 1 मीटर रखने (जो कि पूर्व में 0.85 मीटर ली गई थी) के लिए कहने तथा पॉवर लाईन के लिए भूमि प्रत्यावर्तन के लिए चौडाई कम से कम 7 मीटर रखने (जो कि पूर्व में 1.5 मीटर ली गई थी) की वजह से प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि 2.2665 से 3.1872 हैक्टेयर हो गई। प्रस्ताव में उक्तानुसार संशोधन उपरान्त पुनः सबममिट करने पर उपवन संरक्षक, मुकन्दरा नेशनल पार्क, कोटा के द्वारा वाईल्ड लाईफ क्लीयरेन्स

EE

		प्रस्ताव में पुनः जांच कर कुछ भूमि (खसरा) जो कि राजस्व विभाग के द्वारा बिलानाम बताया गया, उसको फोरेस्ट के नाम होना बताने पर प्रस्ताव में पुनः संशोधन करना पडा, जिससे प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि 3.8122 है, हो गई। न्यूनतम वन भूमि का प्रमाण पत्र संलग्न है।
3	प्रस्ताव में वन्य जीव क्लीयरेन्स स्वीकृति किय जाना प्रस्तावित है।	प्रस्ताव में वन्य जीव क्लीयरेन्स स्वीकृति के लिए कार्यालय चीफ वाईल्ड लाईफ वार्डन, राजस्थान जयपुर के द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक F 4616 Dated 16.02.2018 से In – Principle Wildlife Clearance जारी की जा चुकी है, जिसकी छाया प्रति भी संलग्न है। फाईनल वाईल्ड लाईफ क्लीयरेन्स की कार्यवाही प्रगति पर है।
4.	प्रस्ताव में फार्म ए के पार्ट 1 K के (i) में U/A द्वारा कोई सूचना प्रेषित नहीं की गई है। इसमें प्रभावित होने वाली वन भूमि की ग्रामवार/ उपखण्डवार/ जिलेवार कार्यवाही संलन किया जाकर प्रपत्र में FRA Certificate जारी करवाया जाकर संलग्न करना है। निर्धारित प्रपत्र का प्रोफार्मा विभागीय वेबसाईट www.forest.rajasthan.gov.in – departmental wings – forest conservation – Orders & Circulars में अंकित है।	प्रभावित होने वाली वन भूमि की ग्रामवार/ उपखण्डवार/ जिलेवार कार्यवाही विवरण FRA Certificate की कार्यवाही जारी है तथा संबंधित उपवन संरक्षक (मुख्यतया चितौडगढ प्रादेशिक) से प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि का माप फाईनल हो जाने के उपरान्त Final FRA Certificate प्रस्ताव में Attach कर दिया जाएगा।
5.	प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1 L में Compensatory Aforestation में प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि का विवरण भरा गया है, जो सही नहीं है। इसमें प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले दी जाने वाली गैर वन भूमि के विवरण अंकित किए जाने है। उक्त भूमि के KML File, GT Sheet, DGPS Map etc. अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।	प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि का माप संबंधित उपवन संरक्षक (मुख्यतया चितौडगढ प्रादेशिक) से फाईनल होने के उपरान्त प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले दी जाने वाली गैर वन भूमि के विवरण का निर्देशानुसार अंकन कर दिया जाएगा।

संबंधित उपवन संरक्षक से प्रस्ताव की जांच कराने के लिए कृपया निवेदन है कि, प्रस्ताव को संबंधित उपवन संरक्षक को ऑनलाईन भिजवाने का श्रम करावे।

(धनपत राज सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वा0 अभि0 विभाग,
परियोजना खण्ड, चितौडगढ